फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

केनरा बैंक , शाखा धौलपुर -II बनाम श्रीमती बबली देवी

किस्म मुकदमा: - अंतर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु० नम्बर 13 सन 202

GCMS 2022/76

[illegible]ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/11/2022	यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटाईजेशन एंड रिकनस्ट्रशन ऑफ़ फ़ाइनेन्सिअल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री शंकर लाल , केनरा बैंक , शाखा धौलपुर -II. ने ऋणी/बंधक कर्ता संख्या 1. श्रीमती बबली देवी पत्नी श्री भगवानदास शर्मा निवासी प्लाट नं. 10 बलराम विहार कॉलोनी राजाखेड़ा बाई पास धौलपुर -328001 (ऋणी एवं बंधक कर्ता) 2. गोपाल प्रसाद तिवारी पुत्र श्री राम स्नेही तिवारी प्लाट नं 5 सेक्टर - 5 शास्त्री नगर जी टी रोड धौलपुर 328001 (जमानती), के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी केनरा बैंक , शाखा धौलपुर -II ने ऋणी/अप्रार्थी को 1250000/- रूपये मात्र (A/C 83637740000031) एवं 300000/- रूपये मात्र (A/C 83639750000015) का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे | ऋण राशि निम्न परिसंपत्ति, प्रतिभूति करार के अंतर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है: - 1.श्रीमती बबली देवी पत्नी श्री भगवानदास शर्मा की सम्पति जो कि प्लाट नं. 10 खसरा नं. 170 का हिस्सा, ग्राम जिरोली बलराम विहार कॉलोनी राजाखेड़ा बाई पास रोड धौलपुर पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि संपत्ति के अभिन्न अंग हैं जरिये विक्रय पत्र जो कि उप पंजीयक धौलपुर के यहाँ दिनांक 16.05.12 को पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या 39, प्रष्ट सं. 87 क्रम संख्या 2012002227 पर पंजीबद्ध है जिसकी माप 155.55 वर्ग गज है | जिसकी सीमायें निम्न है : पूर्व में सड़क 20 फीट चौड़ी , पश्चिम में अन्य सीमा , उत्तर में प्लाट नं. 11 एवं दक्षिण में प्लाटनं. 9 | ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है | ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को केनरा बैंक शाखा धौलपुर II द्वारा दिनांक 30.11.2018 को अनर्जक परिसंपत्ति (एन० पी० ए०) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया | तथा दिनांक 18.12.2018 को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 14,27,920 /- रुपये (चौदह लाख सत्ताईस हज़ार नौ सौ बीस रूपये मात्र) दिनांक 30.11.2018 तक एवं दिनांक 01.12.2018 से आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की | ऋणी 60 दिन में ऋण राशि अदा करने में असफल रहें | अतः प्रार्थी केनरा बैंक शाखा धौलपुर II द्वारा अपने पास बतौर	

बंधक रखी संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा के तहत निवेदन किया है

हमने प्रार्थी केनरा बैंक शाखा धौलपुर II द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया | पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो | ऋणी /बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी केनरा बैंक शाखा धौलपुर II को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2), के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का ऋणी के पूर्णतया भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी केनरा बैंक शाखा धौलपुर II के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी संपत्ति 1. श्रीमती बबली देवी पत्नी श्री भगवानदास शर्मा की संपत्ति जो कि प्लाट नं. 10 खसरा नं. 170 का हिस्सा, ग्राम जिरोली बलराम विहार कॉलोनी राजाखेड़ा बाई पास रोड धौलपुर पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि संपत्ति के अभिन्न अंग है जरिये विक्रय पत्र जो कि उपपंजीयक धौलपुर के यहाँ दिनांक 16.05.12 को पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या 39, पृष्ठ सं. 87 क्रम संख्या 2012002227 पर पंजीबद्ध है जिसकी माप 155.55 वर्ग गज है | जिसकी सीमायें निम्न है : पूर्व में सड़क 20 फीट चौड़ी , पश्चिम में अन्य सीमा , उत्तर में प्लाट नं. 11 एवं दक्षिण में प्लाटनं. 9, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी केनरा बैंक शाखा धौलपुर II को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिए जाते हैं | पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी जिया जावे | पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | प्रकरण नम्बर से कम किया जावे |

आदेश आज दिनांक 23/11/21 को खुले न्यायलय में सुनाया गया |

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,